न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 03/2025
मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी वाके ग्राम हांसलसर, शाश्वत नाबालिग जरिये मो0 मुस्तफा पुत्र जमालुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी रोड़ नं0 3, तहसील व जिला झुंझुनूं राज0।

—— प्रार्थी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र स्वर्गीय जय किशन दास, जाति स्वामी, निवासी हांसलसर, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
3. श्रीमान् सहायक कलक्टर (एसीईएम) महोदय झुंझुनूं।
4. धूमा देवी पत्नी श्री हीरालाल
5. इन्द्राज सिंह पुत्र स्व0 श्री हीरालाल
   समस्त जातियान जाट, निवासी हांसलसर तहसील गुढ़ागौड़जी
6. पतासी देवी पुत्री स्व0 श्री हीराराम पत्नी सत्य कुमार, जाति जाट, निवासी बाजीसर, तहसील मण्डावा।
7. बलवीर सिंह पुत्र स्व0 मघाराम उर्फ मघुराम
8. महेश कुमार पुत्र स्व0 मघाराम उर्फ मघुराम
9. श्रीमती बनारसी देवी पत्नी स्व0 महीपाल
10. बुधराम पुत्र स्व0 जगनाराम
11. लिखमाराम उर्फ लखमीचंद पुत्र स्व0 चोखाराम
12. श्रीमती गिन्नी देवी पत्नी स्व0 बिरजू उर्फ बृजलाल
13. रामसिंह पुत्र स्व0 बिरजू उर्फ बृजलाल
14. विरेन्द्र पुत्र स्व. बिरजु उर्फ बृजलाल
15. शीशराम पुत्र स्व0 मालाराम
16. महावीर पुत्र स्व0 मालाराम
17. नेमीचंद पुत्र स्व0 अर्जुनराम
18. प्रेम कुमार पुत्र स्व0 अर्जुनराम
19. रामावतार पुत्र स्व0 अर्जुनराम
20. श्रीमती हरप्यारी पत्नी स्व0 हरिसिंह
21. विद्याधर पुत्र स्व0 हरिसिंह
22. विरेन्द्र पुत्र स्व0 हरिसिंह
23. बलवीर पुत्र स्व0 हरिसिंह
24. श्रीमती मोहरी देवी पत्नी स्व0 मोटाराम
25. उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 मोटाराम
26. रणवीर पुत्र स्व0 मोटाराम
27. उदयसिंह उर्फ उदमीराम पुत्र स्व0 जयराम
28. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 हरलाल
    समस्त जातियान जाट निवासी हांसलसर, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित नही।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रविराज सैनी, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 4 लगायत 28 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण सं0 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.08.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस प्रकार प्रस्तुत है कि वाके ग्राम हांसलसर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं में श्री गोपाल जी के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें करीब 250 वर्ष पूर्व से श्री गोपाल जी की मूर्ति विराजमान है। आसपास के क्षेत्र में मंदिर की अच्छी प्रतिष्ठ एवं ख्याति है। उक्त मंदिर में दूर–दूर से लोग मंदिर में माथा टेकने व पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रार्थी की भी उक्त मंदिर में गहरी आस्था है। उक्त माफी मंदिर श्री गोपाल जी के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की भूमि खसरा नं0 1000, 1365, 1380, 139, 141, 142, 143, 144, 1441/962, 1442/1017, 1443/1014, 145, 1450/142, 146, 1674/1440, 2000/138, 2001/138, 2002/140, 2003/140, 515, 516, 517, 518, 519, 527, 528, 775, 776, 807, 808, 999 कुल किता 31 खसरे कुल रकबा 21.32 है0 स्थित है। धारा 1 में वर्णित उक्त भूमि माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके ग्राम हांसलसर की भूमि रही है जो जमाबंदी बनने की संवत 2009 से लेकर आज चालू जमाबंदी में माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके देहर हिस्सा पूर्ण खातेदारी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। मंदिर माफी की उक्त भूमि पर भूमाफियाओं की बुरी नजर है और उक्त बुरी नजर के चलते भू माफियाओं ने वर्ष 2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी धूमा देवी बनाम मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी इस आशय के तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि कभी भी मंदिर माफी की नहीं रही है उक्त मंदिर का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा ना कभी मूर्ति रही। इसलिए उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादी और प्रतिवादीगण के नाम शामिल रूप से कर दिया जावे तथा कालांतर में आपस में ही भूमि की बन्दर बांट कर ली। वर्तमान समय में मन्दिर माफी की उक्त भूमि के कुछ हिस्से को भू–माफियाओं को विक्रय कर दिया गया है। इस प्रकार समस्त विपक्षीगण मंदिर श्री गोपाल जी की उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण मिललकर एक साजिसान दावा प्रस्तुत किया और कालांतर में गुढ़ागौड़जी की तहसील का क्षेत्राधिकार झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी को दिये जाने पर उक्त प्रकरण एसीईएम झुंझुनूं में ट्रांसफर किया गया जहां दिनांक 14.02.2025 को प्रकरण का फैसला किया गया। उक्त प्रकरण में निर्णय में भी अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी ने यह माना है कि विवादित भूमि में पूर्व में ठिकाना की भूमि रही है जो ठिकाना ने माफी के रूप में दी है और रिकॉर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत 2008 लगायत 2027 में बतौर माफी मंदिर श्री गोपाल जी है। खसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2027 व 2028 से 2031, 2032 से 2035 में संपूर्ण भूमि वादी के पूर्वजों के नाम रही है कालांतर में जमांबंदी संतव 2046 से 2049 में भी उक्त भूमि माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। इस प्रकार वाद वादी स्वीकार किया जाकर माफी मंदिर श्री गोपाल जी की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड भिन्न भिन्न वादी और प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश प्रदान कर दिए गए तथा इस आशय की एक डिग्री भी जारी कर दी गई। प्रकरण के वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त मंदिर का जो तथाकथित पुजारी है वह जबरन इस मंदिर की भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा करवा रहा है और वास्तविक और कानून तथ्य यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 166 के अन्तर्गत माफी मंदिर व जनहित की भूमि किसी व्यक्गित हित में दर्ज नहीं की जा सकती। उक्त विवादिज आराजी माफी मंदिर सार्वजनिक हित की भूमि है जो किसी व्यक्ति के खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्याय हित में नहीं हैं इस प्रकार भूमियों की रक्षा करना तहसीलदार महोदय का कर्तव्य है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 16.07.2021 को समस्त जिला कलक्टर को जारी कर राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज066/2007//पार्ट 5 दिनांक 12.09.2018 की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेगा जैसा कि राज्य के भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण चारागाह की भूमि की तरफ 91 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते अनुसार प्रभावी कार्यवाही करेगा इस प्रकार मंदिर की भूमि को राजकीय भूमि की तरह संरक्षण प्राप्त है। माफी मंदिर एक शाश्वत नाबालिक है जिसकी संपत्ति राजकीय होती है जिसकी खातेदारी मालिकाना हक किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दी जा सकती क्योंकि उक्त भूमि प्रारम्भ से ही प्रतिबंध भूमि की श्रेणी में आती है जिसकी खातेदारी किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। जैसा कि उक्त प्रकरण में माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान की भूमि कई लोगों के नाम व्यक्तिगत रूप से दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं तथा इसी आदेश की आड़ में भूमाफिया उक्त भूमि को नामान्तरकरण करवाना चाहते हैं। श्रीमान् एसीईएम महोदय झुंझुनूं द्वारा जो आदेश किया गया है वह पूर्णता विधि विरुद्ध एवं गलत है क्योंकि किसी मूर्ति मंदिर माफी मंदिर की संपति को व्यक्तिगत हैसियत में दर्ज नहीं की जा सकती मात्र जरिये पुजारी जर्द की जा सकती है श्रीमान् एसीईएम साहब द्वारा किस आधार पर मंदिर माफी की भूमि व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि घोषित किया गया इसका कोई पूर्ण विवरण अपने आदेश में नहीं दिया गया है बल्कि केवल यह कहा जाकर की कुछ वर्षों में उक्त भूमि का व्यक्तिगत रूप से दर्ज दर्ज रही तथा उपकृषक के रूप में व्यक्तिगत रूप से दर्ज रही इसलिए मंदिर माफी की उक्त भूमि को धारा 136 के अन्तर्गत दुरुस्त करने की श्रेणी में मानते हुए व राजस्व रिकॉर्ड से वादी का वाद प्रमाणित मानते हुए गलत रूप से माफी मंदिर की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व्यक्तिगत लोगों के नाम रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किये जो खारिज होने योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि श्रीमान् से की प्रार्थना पत्र रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित विवादित आराजी की खातेदारी व्यक्तिगत लोगों के नाम से हटाकर उन्हें माफी मंदिर श्री गोपाल जी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार ग्राम हांसलसर के रूप में दर्ज की जावे व वर्तमान समय में मूर्ति मंदिर की भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों को हटाने के लिए तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धि या अनुतोष जो माननीय न्यायालय मंदिर के मूर्ति मंदिर के हक में दिया जाना उचित समझे फरमाया जावे।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित नही। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

वकील अप्रार्थीगण सं0 4 लगायत 28 ने निवेदन किया कि प्रार्थी मुस्तफा रेफरेन्स पेश कर आदिनांक तक न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थी की ओर से कोई वकील भी उपस्थित नही हुआ है। विवादित भूमि के संबंध मे न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं मे कब्जे काश्त के आधार पर काबिज व्यक्तियों के पक्ष मे दावा डिक्री हो चुका है जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं विचाराधीन है जिसमे स्थगन आदेश प्रभावी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने लायक नही है। अतः प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी आदिनांक तक न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थी की ओर से कोई वकील भी उपस्थित नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है। साथ ही प्रकरण मे तहसीलदार, उदयपुरवाटी को यह निर्देश दिये जाने उचित होंगें कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की जांच कर यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार रेफरेन्स पत्र प्रस्तुत करे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अप्रार्थी सं0 4 लगायत 28 व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम हांसलसर स्थित विवादित भूमि जिसकी खातेदारी माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम है जिसके खसरा नं0 1000, 1365, 1380, 139, 141, 142, 143, 144, 1441/962, 1442/1017, 1443/1014, 145, 1450/142, 146, 1674/1440, 2000/138, 2001/138, 2002/140, 2003/140, 515, 516, 517, 518, 519, 527, 528, 775, 776, 807, 808, 999 कुल किता 31 खसरे कुल रकबा 21.32 है0 है के क्रम मे प्रार्थी मुस्तफा रेफरेन्स पेश कर आदिनांक तक न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। प्रार्थी की ओर से कोई वकील भी उपस्थित नही हुआ है। विवादित भूमि के संबंध मे न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं मे कब्जे काश्त के आधार पर काबिज व्यक्तियों के पक्ष मे दावा डिक्री हो चुका है जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं विचाराधीन है जिसमे स्थगन आदेश प्रभावी है। साथ ही माफी मंदिर श्री गोपाल जी की खातेदारी की भूमि की रक्षा किया जाना भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है साथ ही तहसीलदार गुढागौडजी को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की जांच कर यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार नये सिरे से रेफरेन्स पत्र प्रस्तुत करे। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज होने की स्थिति मे स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं